क्रमांक- 95

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

शनिवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2017 (अश्विन 1, 1939)

निर्वाचन क्षेत्र क्र.78-सिंहावल से निर्वाचित सदस्य, श्री कमलेश्वर पटेल को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर, (छत्तीसगढ़) की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 22.09.2017, जो इस सचिवालय में दिनांक 23.09.2017 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

'' मुझे आपको यह सूचना देनी है कि जा.फौ. की धारा 151/107, 116 (3) के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री कमलेश्वर पटेल को (यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण) निरुद्ध कर लिया जाये.

तद्नुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री कमलेश्वर पटेल को दिनांक 22.09.2017 को बंदी कर कार्यपालिक दण्डाधिकारी, रायपुर के समक्ष पेश कर उसी दिन नि:शर्त रिहा कर दिया गया. ''

एं.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.